

श्री राजस्थान
राजस्थान

186
2.5.19

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.6 (01) पु0अ0/म0अ0/पोलिसी/10/-4050

दिनांक: 24.4.19

शासन सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

263
02/05/19

विषय: शिक्षण संस्थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरो के संबंध में।

महोदय,

(P.I.)
5
115449

उपरोक्त विषयान्त अनुरोध है कि राज्य में छात्राओं के साथ आये दिन असामाजिक तत्वों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के बाहर एवं आस-पास संस्थाओं के प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने के समय छेड़-छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिये राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश द्वार के आस-पास एवं भवन के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाकर छेड़-छाड़ की घटनाओं को रोके जाने के प्रयास किये जा सकते हैं। उक्त छेड़-छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिये पूर्व में शैक्षणिक संस्थाओं में लगाये गये शिकायत पेटी पूर्ण रूप से कारगर नहीं हो पा रही है, क्योंकि शिकायत दर्ज कराने वाली छात्राओं को अपना नाम उजागर होने का डर रहता है।

उपरोक्त विषय में राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार एवं भवन के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाने हेतु निर्देश प्रदान करने का श्रम कैरावे तथा साथ ही भविष्य में नवीन शैक्षणिक संस्था एवं नवीनीकरण हेतु शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने से पूर्व संबंधित शैक्षणिक भवन के संस्था प्रधान से सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने का शपथ-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मान्यता प्रदान किया जाना उचित रहेगा।

CCE
JSTE
JSHE
30/4/19

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
दिनांक 19/5/19

भवदीय,

(जंगा श्रीनिवास राव)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4()विविध/आयो/आकाशि/440-473 दिनांक: 08.5.2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक 4050 दिनांक 24.04.2019 के सम्बंध में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि वे प्रकरण के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
4. वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।